भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †624

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कोलार एवं चिकबल्लापुर को पर्यटन परिपथ में सम्मिलित करना

†624. श्री एस. मुनिस्वामीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोलार और चिकबल्लापुर जिलों के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पर्यटक परिपथ के रूप में शामिल किए जाने की गुंजाइश है;

(ख) क्या सरकार कोलारम्मा मंदिर, अंतरगंगे, अवनी ग्राम, कोटलिंगेश्वर मंदिर, बंगारू तिरुपति, भगवान सोमेश्वर मंदिर और अन्य स्थानों को ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के रूप में मान्यता देती है;

(ग) क्या कर्नाटक के कोलार और चिकबल्लापुर के जिलों के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़कर कोई पर्यटक परिपथ बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार ने इन दोनों जिलों में कोई धनराशि स्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन' तथा 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन और पूर्व में जारी निधियों के उपयोग आदि के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय अपनी 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच)' योजना के तहत कर्नाटक सहित देश के पर्यटन स्थलों का समग्र रूप से संवर्धन करता है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और गंतव्य केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को अब एक नया रूप दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने एसडी 2.0 के तहत विकास के लिए हम्पी और मैसूरू को चिह्नित किया है।

****